प्रारम्भिक शिक्षा

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान निहित है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के विकास एवं सार्वजनीकरण की दिशा में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनवरत प्रयास किये जा रहे हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति –1986 की कार्य योजना तथा उसमें वर्ष 1992 में किये गये संशोधनों में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर विशेष बल दिया गया है।

निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पूरे प्रदेश में 1 अप्रेल, 2010 से लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों को राजस्थान में प्रभावी रूप से लागू करने के लिये 29 मार्च 2011 को राजस्थान निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011, अधिसूचित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत राज्य में गैर राजकीय विद्यालय अपनी प्रवेश कक्षा (एन्ट्री लेवल क्लास) में प्रविष्ट बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश दिये जाने और उनकी निःशुल्क व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करवाने का प्रावधान है।

प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा नीति के निम्न प्रमुख उद्देश्य हैं :–

1. सबके लिए निकटस्थ प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा तथा सार्वभौमिक नामांकन।
2. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक ठहराव एवं सहभागिता।
3. न्यूनतम अधिगम स्तर के साथ शिक्षा के गुणात्मक स्तर पर बल।

नीति निर्देशक सिद्धान्तों में निहित संकल्प एवं शिक्षा नीति के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में शिक्षा के विकास एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा के प्रयास किये जा रहे हैं ।